

स्वच्छता प्रेमी व्यापारी बंधुओं का सम्मान किया

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के अवसर पर स्वच्छता प्रेमियों का सम्मान किया गया। नगर निगम आयुक्त ने कचरे को अलग—अलग डस्टबिन में एकत्र करने वालों का माना आभार, वार्ड के रहवासियों को स्वच्छता एप से भी अवगत कराया।

रत्नाम 03 दिसम्बर। किसी भी तरह का व्यापार करते समय, छोटे या बड़े व्यापारी बंधुओं को स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ये स्वयं अपने दुकान प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता को महत्व दे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगे तो रत्नाम भी स्वच्छता के मामले में एक मिशाल कायम कर सकता है। अपनी दुकानों से निकले कचरे का निपटान संग्रहण वाहन में ही करे।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने व्यक्त किए। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 के परीणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत शुक्रवार १० को शहर के चारों झोन अनेक वार्डों में स्थित दुकानों पर जाकर उन व्यापारी बंधुओं का सम्मान किया गया जो अपने दुकान—प्रतिष्ठानों का कचरा अलग—अलग डस्टबिनों में एकत्र कर इसका निपटान करता संग्रहण वाहन के अलग—अलग खानों में ही करते हैं। इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने व्यापारियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिन दुकानों में कचरे का सही निपटान और स्वच्छता को महत्व दिया जा रहा है, वहां स्वच्छता का संदेश देने वाली आकर्षक रांगोली का निर्माण भी किया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीणणों आदि का सम्मान किया जाना है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता में सहयोग करने वाले व्यापारियों का सम्मान उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंच कर किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि स्वच्छता, भक्ति के समान है, जिसका अर्थ है स्वच्छता से ईश्वरत्व या अच्छाई का मार्ग प्रशस्त होता है। उचित स्वच्छता के अभ्यास के माध्यम से हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रख सकते हैं जो वास्तव में हमें अच्छा, सभ्य और स्वस्थ इंसान बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने और अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखने की आवश्यकता है। एक स्वच्छ शहर हमें स्वस्थ रखता है और डॉक्टरों से दूर रखता है और इस प्रकार चिकित्सा खर्च और समय की हानि से बचाता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं जो रोगों की घटना को धीमा करता है।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान करता संग्रहण वाहन के अलग—अलग हिस्सों में ही करें। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता जरूरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर—1 बना पाएंगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रत्नाम का गौरव बढ़ाएं।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री ए.पी. सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

**04 दिसम्बर को वैक्सीनेशन महाअभियान में रतलाम नगर को 100 प्रतिशत वैक्सीनेटेड बनायें
निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत बैठक में दिये निर्देश**

रतलाम 03 दिसम्बर । नगर के ऐसे नागरिक जो कि कोरोना का पहला टीका लगवाकर तब समय-सीमा पूर्ण कर चुके हैं उन्हे 04 दिसम्बर शनिवार को घर-घर जाकर व वैक्सीनेशन सेंटरों पर शत-प्रतिशत टीका लगाकर रतलाम नगर को 100 प्रतिशत वैक्सीनेटेड बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने निगम अधिकारी, इंजीनियर व वार्ड दरोगा, आंगनवाड़ी सुपरवाईजरों की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम अधिकारी, इंजीनियर, वार्ड दरोगाओं व आंगनवाड़ी सुपरवाईजरों को निर्देशित किया कि 04 दिसम्बर शनिवार को घर-घर जाकर व वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीके से बंचित नागरिकों को टीका लगवाकर रतलाम नगर को 100 प्रतिशत वैक्सीनेटेड बनाया जाना है। उन्होने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रत्येक घर जाकर टीके से बंचित नागरिकों की जानकारी लेना है व अनिवार्य रूप से टीका लगवाना है। उन्होने कहा कि नगर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग आदि जो कि टीका लगवाने में अक्षम हैं उन्हे घर जाकर टीका लगायें।

उन्होने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगाये व अन्य को भी मास्क लगाने की समझाईश दें साथ ही नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी घर-घर जाकर कोरोना के दूसरे टीके से बंचित नागरिकों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाये जाने का कार्य अपने-अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से किये जाने हेतु सभी प्रातः 7 बजे से इस कार्य में जुट जाये।

एसडीएम श्री गेहलोत ने इस अवसर पर निर्देशित किया कि 04 दिसम्बर शनिवार को चलाये वैक्सीनेशन महाअभियान में हमें विशेष रूप से शहर के बाहरी क्षेत्रों, स्लम बस्तियों को चिन्हित कर टीकाकरण करवायें। उन्होने कहा कि हमे टीकाकरण महाअभियान में इस प्रकार कार्य करना है कि 04 दिसम्बर को रतलाम नगर 100 प्रतिशत वैक्सीनेटेड हो जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन चंत्री श्री जी.के. जायसवाल, उपर्यंत्री, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

5718 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 03 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 03 दिसम्बर शुक्रवार तक 5718 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 57 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

खुले में गंदगी करने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 03 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 2 दिसम्बर को 2 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर किशोर, विकास कस्तुरबा नगर, शर्मजी अलकापुरी, रामदीन बरबड़ रोड पर 100–100, निखलेश कस्तुरबा नगर, चेतन अलकापुरी, रामू बरबड़ रोड पर 50–50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 10 व्यक्तियों पर 100–100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

03 दिसम्बर को 79 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 03 दिसम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 03 दिसम्बर शुक्रवार को 79 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

03 दिसम्बर शुक्रवार को डम्पर से 18185, ट्रेक्टर से 23535, काम्पेक्टर सूखा कचरा 17545 व काम्पेक्टर गीला कचरा 20405 किलो इस तरह कुल 79670 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 03 दिसम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजोकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत

10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेत 95 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 03 दिसम्बर। शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निमाण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 03 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 दिसम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 दिसम्बर। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वाडों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/03.12.2021/न.पा.निगम, रतलाम.